"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी 2011—माघ 28, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2011/363.—निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अनुसरण में विधान सभा उप चुनाव 2011 के लिए 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्याशी संबंधी जानकारी सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा. 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि—

श्रीमती कुमारी मदन साहू (नाम) ग्राम+पोस्ट-अरमरीकला, तह.-गुरूर, जिला-दुर्ग (पता) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े की गई हैं. उस सदन में,

श्री मदन लाल साहू की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है.

स्थान : दुर्ग
तारीख : 17-02-2011

हस्ता./-

रिटर्निंग आफिसर
59-संजारी बालोद, उप चुनाव 2011
जिला दुर्ग (छ. ग.)

CONDUCT OF ELECTION RULES 1961
(Statutory Rules and order)

FORM 21 D

(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the Act 1951.

Election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh State from 59-Sanjari Balod, Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, 1 declare that-Kumari Madan Sahu, Village & Post-Armarikala, Tahsil Gurur, Distt.-Durg (C. G.) Sponsored by Bhartiya Janta Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of-Madan Lal Sahu.

Place : Durg
Date : 17-02-2011

Sd/-
Returning Officer
59-Sanjari Balod
Assembly Constituency
Bye-Election 2011
Distt.-Durg (C. G.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.